राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 524/2010/चित्तौडगढ

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट–प्रथम,वृत–बी,भीलवाडा — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स बोहरा टायर्स
बेगूँ, चित्तौडगढ — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थित
श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री वी.सी.सोगानी
अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांकः 26.06.2014

निर्णय

यह अपील सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट प्रथम, वृत बी,भीलवाडा (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) ने उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 68/वैट/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 26.10.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है,जिसमें कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 76 (6) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रू. 12,555/–को अपास्त किया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 23.10.2007 को कोटा रोड पर वाहन संख्या आरजे.09–जीए–2473 को भीलवाडा से बेगूँ जाते समय चेक किया। वक्त चेकिंग वाहन में परचून सामान के अतिरिक्त चार नग टायर के दले हुए थे। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा टायर के सम्बन्ध में दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक व तत्कालीन माल प्रभारी ने उसके पास टायर के सम्बन्ध में वैट इनवाईस व चालान आदि दस्तावेज वक्त जांच नही होने का कथन किया है। कर निर्धारण अधिकारी ने करापवचंन की नियत से माल का परिवहन करना मानते हुए दिनांक 30.10.2007 के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में वाहन चालक व तत्कालीन माल प्रभारी श्री ज्ञाननाथ ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि वह माल के मालिक तेजमल बोहरा फर्म मालिक है तथा वही जवाब पेश करेंगे। तेलमल बोरा ने दिनांक 24.10.2007 को प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि उक्त माल मेरा है मैंने यह माल बोरा सियेट टायर्स भीलवाडा से खरीदा था। माल के साथ क्लिीनर था इस बाबत मेरा कथन है कि मैंने माल गाडी में लदान कर दिया था। इसके बाद घर से आवश्यक टेलीफोन आने की वजह से तुरन्त घर चला गया था एवं बिल खलासी लेकर आ रहा था। अतः वक्त जांच बिल ड्राइवर पेश नही कर सका। अब उसकी फोटो कापी पेश कर रहा हूँ। कृपया मेरा माल छोडने की कृपा

करें। मेरा फैसला आज ही कर दिया जाये मै 30 को आने में असमर्थ हूँ। उक्त जवाब से असन्तुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76 (2) के प्रावधानों का उल्लंघन मानकर कर माल की कीमत पर 30 प्रतिशत की दर से अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति रू. 12,555/–आरोपित करते हुए आदेश दिनांक 24.10.2007 पारित किया। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 24.10.2007 से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की,जिसका निस्तारण दिनांक 26.10.2009 को करते हुए अपीलीय अधिकारी ने आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.10.2007 से क्षुब्ध होकर कर निर्धारण अधिकारी ने यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि दिनांक 23.10.2007 को वाहन संख्या आरजे. 09–जीए–2473 को भीलवाडा से बेगूँ जाते समय चेक चैक किया। परिवहनित माल से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर अधिनियम की धारा 76 (2) का उल्लंघन मानकर नोटिस जारी करने पर प्रस्तुत जवाब को सन्तोषप्रद नही मानते हुए उन्होंने अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति रू. 12,555/–आरोपित की, जो उचित है।

उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त किया है,जो अविधिक है । उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 26.10.2009 को अपास्त कर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवसायी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 23.10.2007 को तारीख पेशी 30.10.2007 के लिए नोटिस देने पर, उसकी पालना में दिनांक 24.10.2007 को सीएट लिमिटैड का बिल नम्बर एसआई 000836 दिनांक 22.10.2007 को ही कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था और वाहन के साथ बिल नहीं होने का कारण लिखित में बताया था कि "उक्त माल मेरा है मैंने यह माल बोरा सियेट टायर्स भीलवाडा से खरीदा था। माल के साथ क्लिीनर था इस बाबत मेरा कथन है कि मैंने माल गोडी में लदान कर दिया था। इसके बाद घर आवश्यक टेलीफोन आने की वजह से तुरन्त घर चला गया था एवं बिल खलासी लेकर आ रहा था। अतः वक्त जांच बिल ड्राइवर पेश नही कर सका। अब उसकी फोटो कापी पेश कर रहा हूँ। कृपया मेरा माल छोडने की कृपा करें। मेरा फैसला आज ही कर दिया जाये मै 30 को आने में असमर्थ हूँ।" उन्होंने बताया कि कर निर्धारण अधिकारी ने प्रस्तुत दस्तावेजों को मिथ्या एवं बोगस प्रमाणित किये बिना करापवचंन का दोषी मनोभाव मानते हुए शास्ति आरोपित की है,

जो अनुचित है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों की जांच किये बिना ही प्रत्यर्थी पर शास्ति करारोपण की कार्यवाही की, जो तथ्यों के प्रतिकूल होने से अपास्त योग्य है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों पर पूर्ण विवेचन के पश्चात आरोपित शास्ति को अपास्त किया है,जो पूर्णतः विधिक है। उन्होंने उक्त तर्को के आधार पर उन्होंने प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया, साथ ही अपीलाधीन आदेश पर दृष्टिपात किया गया। वर्तमान प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी ने इस आधार पर शास्ति का आरोपण किया है कि परिवहनित माल टायर नग से सम्बन्धित दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक/माल प्रभारी के पास नहीं पाये गये है। जबकि वाहन चालक ने प्रार्थना पत्र पेश कर सभी तथ्यों को उजागर करने के पश्चात माल के मालिक तेलमल वोहरा नोटिस जारी करने के अगले दिन माल से सम्बन्धित बिल की फोटो कापी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दी थी, जिसकी जांच किये बिना ही कर निर्धारण अधिकारी शास्ति आरोपित की है,जो उचित प्रतीत नहीं होती है।

पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नोटिस जारी होने के अगले दिन अर्थात 24.10.2007 को ही टायर केता ने वैट इनवाईस संख्या एसआई00836 दिनांक 22.10.2007 की फोटो प्रति कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दी थी,(जो पत्रावली के पेज 6 पर उपलब्ध है)जिसमें वक्त चेकिंग वाहन में लदे पाये गये चार नग टायर्स का विवरण अंकित है, जिस पर 12.5 वैट वसूल किया हुआ है, जिससे स्पष्ट होता है कि टायर परिवहन करने में करापवंचन की मंशा नहीं थी। इसी अवधारणा के आधार पर अपीलीय अधिकारी ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय स्टेट आफ राजस्थान बनाम डी.पी.मेटल्स (2002) 1 एस सी सी 279 के प्रकाश में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त किया है, जो उचित एवं विधिक है। फलतः अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन ओदश दिनांक 26.10.2009 में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत की गई अपील अस्वीकार अपीलीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखा जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य